FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट खण्डेला

ान ..... हरिनारायण वगै०. बनाम ..... भूमिधारी .....

म मुकदमा ..... दावा ..... मुकदमा नं. ..... 85 ..... सन् 20

रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
23/07/19	वकील वादीगण श्री भजनराम के हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाए पत्रावली दिनांक 23/07/2019 को पेश हो।	
23/07/19	पत्रावली पेश नहीं हुई। वकुलाय फरीकन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कैरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक..... को पेश हो।	
23/07/19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उप० तहसीलदार खण्डेला ने उत्तरण में प्रतिवादी की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वकुलाय उभयपक्ष की उत्तरण में बहस सुनी गई। वास्ते आदेशार्थ मिसल दिनांक 09/08/19 को पेश हो।	
09/08/19	पत्रावली पेश हुई। उत्तरण में बहस सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर अहकम हुक्म

ने मुताबिक संतुष्ट दावा डिक्री किया जावे का निवेदन किया।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड का एवं पेशशुदा प्रतिवादी सं० 1 का जवाब का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तथा घोषणा इस आशय की जाती की जाती है कि :-

निर्णय

तन ग्राम सोला पटवार हल्का खटुन्दरा तहसील खण्डेला उल्लिखित कृषि भूमि ख० नं० 101, 102, 105 ता 107 रकबा 8.39 है० में वादीगण एवं इनकी मृतक माता मुन्नी पत्नि काना की गलत दर्ज जाति "जाट" के स्थान पर सही जाति "मीणा" दुरुस्त किया जाता है तथा वादी सं० 1 का नाम "हरि" के स्थान पर "हरिनारायण" तथा वादी सं० 3 का नाम "जुगला" के स्थान पर "जुगलकिशोर" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री मूतबिक हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner